



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01012025-259802
CG-DL-E-01012025-259802

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5218]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 30, 2024/पौष 9, 1946

No. 5218]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 30, 2024/PAUSHA 9, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2024

का.आ. 5638 (अ) – निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप-धारा (3) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी करने का प्रस्ताव करती है, को इससे प्रभावित होने वाली प्रत्याशित जनता के सूचनार्थ, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के तहत अपेक्षित अनुसार एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उस तारीख, जिस पर इस अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद विचार किया जाएगा;

प्रारूप अधिसूचना में निहित प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति निर्दिष्ट अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार के विचारार्थ सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली -110003 को या या इसे मंत्रालय के ई-मेल पते : esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

जबकि, लोथियन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में 38 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में स्थित है। यह अभयारण्य भारत और बांग्लादेश दोनों में गंगा-ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली के मुहाने पर स्थित है। यह उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी तरफ से सप्तमुखी नदी और दक्षिणी तरफ से बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है।

और जबकि, लोथियन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य सुंदरबन का हिस्सा है, जो डेल्टा मैंग्रोव वन रूप का सबसे बड़ा एकल खंड है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में शामिल पशुओं को आश्रय प्रदान करता है जिसमें गांगेय डॉल्फिन (*प्लैटिनिस्टा गैंगेटिका*), वाटर मॉनिटर लिज़ार्ड (वरेनस साल्वेटर), आदि शामिल हैं।

और जबकि, आईयूसीएन की रेड डाटा बुक के तहत लोथियन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य विनिर्दिष्ट अनेक जीव प्रजातियों के अनुकूल है जिनमें, अन्य के साथ-साथ, फिशिंग कैट (*फेलिस विवेरिना बनेट*), एस्टुरीन ओटर (*लुट्रा लुट्रा*), बंगाल मॉनिटर लिज़ार्ड (*वरेनस बेंगालिस*), एस्टुरीन क्रोकोडाइल (*क्रोकोडायलस पोरसस*), ओलिव रिडले टर्टल (*लेपिडोचिल्स ओलिवेसिया*), सिवेट कैट (*विवेरा जिबेथा*), जैकल (*काँइन ऑरियस*), इरावडी डॉल्फिन (*ओरेसेला ब्रेविरोस्ट्रिस*), इंडियन पायथन (*पायथन मोलुरस*), रीसस मकाक (*मकाका स्पेसियोसा*), चीतल (*एक्सिस एक्सिस*), वाइल्ड पिग (*सस स्क्रोफा*) आदि।

और जबकि, यह वन्यजीव अभयारण्य फुलवस ब्रेस्टेड वुडपेकर (*डेंड्रोकोपोस मेसी*), स्ट्राइप ब्रेस्टेड वुडपेकर (*डेंड्रोकोपोस एट्रेटस*), ब्लैकरम्पड फ्लेमबैक (*डिनोपियम बेंगालेंस*), ब्लू थ्रोटेड बार्बेट (*साइलोपोगोन एशियाटिकस*), स्टॉर्क बिल्ड किंगफिशर (*पेलागॉप्सिस कैपेंसिस*), व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर (*हैल्सियन स्मिर्नेसिस*), येलो वैगटेल (*मोटासिला फ्लावा*), ब्लैक रेडस्टार्ट (*फीनिकुरस ओक्रुरस*), टिकेल फ्लावरपेकर (*डाइसियम एरिथ्रोचोस*), पैराडाइज फ्लाईकैचर (*टेरप्सिफोन*), एशी स्वैलो श्रीके (*आर्टामिस फुस्कस*), लॉन्ग-टेल्ड नाइटजार् (*कैप्रिमुल्गस क्लाइमाकुरस*), स्वैम्प पैट्रिज (*रेजिडेंट*) (*फ्रेंकोलिनस गुलरिस*), यूरेशियन ईगल आउल (*बुबो बुबो*), ग्रेहेडेड फिश ईगल (*इचथियोफेगा इचथ्येटस*), कॉटन पिग्मी गूज (*नेट्रापस कोरोमैंडेलियनस*), यूरेशियन विजन (*अनस पेनेलोप*), लेसर व्हिसलिंग टील (*डेंड्रोसिया जावानिका*), व्हाइट-आइड पोचर्ड (*अयथ्या नायरोका*) आदि जैसे पक्षियों के लिए एक स्वर्ग है।

और जबकि, क्षेत्र में पाई जाने वाली मछली की प्रजातियों में गंगा शार्क (*ग्लिफिस गैंगेटिकस*), हैमर हेड शार्क (*स्फिरना ब्लोची*), गिटार फिश (*राइनोबेटोस अन्नादेली*), हैंगर (*दस्याटिस सेफोर्स*), बटर फिश (*स्ट्रोमेटस साइनेंसिस*), सिल्वर पॉम्फ्रेट (*पंपस चिरेंसिस*), बंगाल टंग फिश (*सिनोग्लोसस साइनोग्लोसस*), गांगेय हेयरफिन एंकोवी (*सेटिपिन्ना फासा* (*हैमिल्टन*), मोटल ईल (*एंगुइला बेंगालेंसिस*), ब्लैकफिन सी कैट फिश (*एरियस जेला*), स्पॉट टेल नीडल फिश (*स्ट्रॉन्गिलुरा स्ट्रॉन्गिलुरा*), कलगल्ली भगोन (*लिज़ा ताडे* (*फोर्स्कल*), चंदा (*एट्रोप्लस सुराटेंसिस* (*बलोच*)), आदि शामिल हैं;

और जबकि, सुंदरबन मैंग्रोव वन संरक्षित क्षेत्र में वनस्पति प्रजातियों की व्यापक जैव-विविधताएं मौजूद हैं। इस क्षेत्र से दर्ज की गई वनस्पति प्रजातियों में हरगुज़ा (*एसेंथस इलिसिफोलियस एल*), लता हरगुज़ा (*ए.वोलुबिलिस*), तोरा (*एगियालाइटिस रोटुंडिफोलिया*), खालसी (*एजिसेरस कार्निकुलेटम*), पियारा बेन (*एविसेनिया अल्बा* (*ब्लूम*), काला बेन (*ए. मरीना*), जाट बेन (*ए. ऑफिसिनैलिस*), अमूर (*एग्ली कुकुलाटा*), होडो (*एक्रोस्टिचम ऑरियम*), बकुल (*ब्रुगुएरा बेलनाकार*), कंकरा (*बी. जिमनोरिज़ा*), कंकरा (*बी. सेक्सेंगुला* (*लूर*) पोयरोट), लता सुंदरी (*बी. परविफ्लोरा*), बकुल

(ब्राउनलोविया टेर्सा (एल)), डाकोर (सेबेरा मंगस गर्टन), बंजाई (क्लेरोडेंड्रम इनर्म), नैट (कैसलपिनिया बुंडुसेला), झमती (सेरिओप्स डिक्केंडा), मैथ गोरान (सी. टैगल (प्रोटेट) सी.एस. रॉबिन्सन), सिंगरा कलिलता (साइनोमेट्रा इरिपा कोस्टेल), डालबर्गिया स्पिनोसा, कलिलता (डी. हेटरोफिलिया), गिला एंटाडा स्कैंडेंस, जेनवा (एक्सकोकेरिया अगोलोचा), दुधिलता (फिनलेसोनिया ओबोवाटा), फिमिस्टाइलिस फेरुगिनिया, गर्जन (राइजोफोरा एपिकुलाटा ब्लूम) आदि शामिल हैं;

और जबकि, लोथियन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य की इस समृद्ध वनस्पति-जात और प्राणि-जात जैव विविधता के प्रभावी संरक्षण और सुरक्षा के लिए, उद्यान की परिधि में मानवजनित दबाव की व्यापकता को विनियमित किया जाना चाहिए क्योंकि इस अतिसंवेदनशील पारिप्रणाली से लगा निकटतम समीपवर्ती क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील हैं और इस संरक्षित क्षेत्र पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है;

और जबकि, उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी तरफ और दक्षिणी तरफ, मुख्य नदी सप्तमुखी-नदी की गतिशील प्रकृति बंगाल की खाड़ी से घिरी हुई है जो उद्यान में वन्यजीवों पर सीधा प्रभाव डालती है; और इसलिए, लोथियन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों को संरक्षित और सुरक्षित करना आवश्यक है ताकि उसमें और इस परिदृश्य में वन्यजीव पर्यावास में सुधार और विकास हो सके;

और जबकि, पैरा 1 में निर्दिष्ट लोथियन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं के चारों ओर के क्षेत्र का पारिस्थितिकीय, पर्यावरण और जैव-विविधता के दृष्टिगत पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन के रूप में संरक्षण और सुरक्षा करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणी और उनके प्रचालनों और प्रक्रियाओं को निषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले के लोथियन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से लगे 1.0 किमी. से 2.0 किमी. तक के विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन का विस्तार और सीमाएं -

- (1) पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन, लोथियन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1.0 किलोमीटर से 2.0 किलोमीटर तक भिन्न होगा और पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन का क्षेत्र लगभग 49.13 वर्ग किलोमीटर है।
- (2) लोथियन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन का सीमा विवरण **संलग्नक-I** में दिया गया है।
- (3) लोथियन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन के मानचित्र **संलग्नक-IIक** और **संलग्नक-IIख** के रूप में संलग्न हैं।
- (4) लोथियन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन पारि-संवेदनशील क्षेत्र की सीमा पर भू-निर्देशांक **संलग्नक-III** की तालिका क और तालिका ख में संलग्न हैं।
- (5) कोई भी गांव पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन के भीतर अवस्थित नहीं है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना –

- (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी जिस पर राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- (2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।
- (3) इस आंचलिक महायोजना को राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार किया जाएगा जिससे कि इसमें पारिस्थितिकी और पर्यावरण सम्बंधी विषयों को शामिल किया जा सके:-
 - (i) वन;
 - (ii) पर्यावरण;
 - (iii) कृषि;
 - (iv) मत्स्य-पालन;
 - (v) पर्यटन;
 - (vi) सिंचाई एवं जलमार्ग;
 - (vii) लोक निर्माण;
 - (viii) भूमि एवं भूमि सुधार;
 - (ix) आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा;
 - (x) पंचायत और ग्रामीण विकास;
 - (xi) सुंदरबन मामले।
- (4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक कारगर और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।
- (5) इस आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य सन्दर्भों के लिए प्रावधान किये जायेंगे जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।
- (6) इस आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा भी दिया जाएगा।
- (7) इस आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और पैरा 4 में तालिका में यथासूचीबद्ध प्रतिषिद्ध, विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा और इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चयन एवं संवर्धन किया जाएगा।
- (8) यह आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।

- (9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज का काम करेगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।
- (10) आंचलिक महायोजना की लम्बितता और अनुमोदन, कोई नया विकासात्मक क्रियाकलाप उप-पैरा (1) और (2) के पैरा 6 में विनिर्दिष्ट उपबंधों द्वारा शासित होंगे।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय - राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, यथा :-

(1) **भू-उपयोग** - (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए अभिज्ञात उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या इसके संपरिवर्तन की अनुमति नहीं होगी:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर उपरोक्त भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि के संपरिवर्तन को निगरानी समिति की सिफारिश पर और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने और निम्नलिखित क्रियाकलापों के लिए अनुमति दी जा सकेगी :-

- (i) तट स्थिरीकरण/सुरक्षा संरचना एवं उपाय।
- (ii) विद्यमान सड़कों/घाटों का चौड़ीकरण और सुदृढीकरण और पुल, पुलिया आदि सहित नई सड़क, घाट का निर्माण;
- (iii) नदी की ड्रेजिंग और जलमार्गों की ड्रेजिंग;
- (iv) सामाजिक रूप से वांछनीय सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, बिजली, पेयजल, सिंचाई और अन्य बुनियादी नागरिक सुविधाओं का निर्माण और नवीनीकरण;
- (v) लोगों को प्राकृतिक आपदा अर्थात् चक्रवात, तूफान, आदि से बचाने के लिए आपदा आश्रय और संबंधित कार्यों का निर्माण और नवीनीकरण;
- (vi) सीमित प्रदूषण उत्पन्न करने वाले लघु उद्योग;
- (vii) ग्रामीण कारीगरों सहित कुटीर उद्योग; आदि
- (viii) गृह वास सहित पारि-पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाएं; और
- (ix) सुरक्षा बलों के शिविर/गश्त शिविरों का निर्माण एवं नवीनीकरण, और
- (x) पैरा 4 में उल्लिखित बढावा दिए गए क्रियाकलाप:

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के तहत सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक और औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी।

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जा सकेगा और उक्त त्रुटि को सुधारे जाने की सूचना केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप-पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

(ख) वनीकरण और पर्यावास पुनर्बहाली क्रियालापों के साथ अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** - इस आंचलिक महायोजना में आने वाले सभी प्राकृतिक जल-स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और पुनर्बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा दिशा-निर्देश इस रीति से तैयार किए जाएंगे कि इन क्षेत्रों में या इनके निकट ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकर विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध किया गया हो।

(3) **पर्यटन या पारि-पर्यटन** - (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारि-पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा;

(ख) पर्यटन महायोजना, राज्य के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी;

(ग) पर्यटन महायोजना, आंचलिक महायोजना का घटक होगी;

(घ) पर्यटन महायोजना, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी;

(ङ) पारि-पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें से जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया निर्माण को अनुमत नहीं किया जाएगा;

परंतु यह भी कि, इस संरक्षित क्षेत्र की सीमा रेखा से एक किलोमीटर की दूरी से परे और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, किसी नये होटल और रिजॉर्ट के निर्माण की कोई भी अनुमति पर्यटन महायोजना के अनुसार पारि-पर्यटन सुविधाओं के लिए केवल पूर्व निर्धारित और अभिहित क्षेत्रों में दी जाएगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारि-पर्यटन, पारि-शिक्षा और पारि-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारि-पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) जब तक इस आंचलिक महायोजना को अनुमोदित नहीं कर दिया जाता तब तक पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार की कोई भी अनुमति संबंधित विनियामक प्राधिकरणों के द्वारा ही दी जाएगी जो कि निगरानी समिति की वास्तविक स्थल विशिष्ट वास्तविक जांच और संस्तुति पर आधारित होगी और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल, रिजॉर्ट या वाणिज्यिक स्थापना के निर्माण की अनुमति नहीं होगी।

(4) **प्राकृतिक विरासत** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

- (5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबंधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।
- (6) **ध्वनि प्रदूषण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 और उसमें किए गए संशोधनों में नियत उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (7) **वायु प्रदूषण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और इन नियमों के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (8) **बहिस्त्राव का निस्सरण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में शोधित बहिस्त्राव का निस्सरण, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और इन नियमों के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (9) **ठोस अपशिष्ट** - ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा :-
- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 08 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर अभिज्ञात किए गए स्थान पर पर्यावरण स्वीकार्य रीति से किया जाएगा;
- (ख) स्थानीय प्राधिकरण, ठोस अपशिष्टों का जैवअवक्रमणीय और गैर जैवअवक्रमणीय संघटकों में पृथक्करण करने के लिए योजनाएं बनाएंगे;
- (ग) जैवअवक्रमणीय सामग्री का पुनर्चक्रण अधिमानतः कम्पोस्टिंग या वर्मीकल्चर के माध्यम से किया जाएगा।
- (घ) अजैविक सामग्री का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर अभिज्ञात स्थलों में पर्यावरणीय स्वीकार्य रीति से किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाने या भस्मीकरण की अनुमति नहीं होगी।
- (10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट** - जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा :-
- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार किया जाएगा।
- (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में अभिज्ञात प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुमत किया जायेगा।

- (11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (13) **ई-अपशिष्ट** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित समय-समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (14) **सड़क-यातायात** - सड़क-यातायात को पर्यावास अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।
- (15) **वाहन जनित प्रदूषण** - वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधनों के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।
- (16) **औद्योगिक ईकाइयां** - (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।
(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- (17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण** - पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा :-
(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी निर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;
(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी निर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची -

पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना (ईआईए), 2006 (या नवीनतम अधिसूचना) सहित उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों के उपबंधों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, यथा :-

तालिका

क्र.सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और भ्रन्जक इकाइयां।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं, जिसमें मकानों के निर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और भ्रन्जक इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, वर्ष 1995 की डब्ल्यू.पी.(सी) सं. 202 में टी.एन. गोदावर्मन तिरुमलपाद बनाम यूओआई के मामले में दिनांक 04 अगस्त, 2006; वर्ष 2012 की डब्ल्यू.पी.(सी) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम यूओआई के मामले में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 और वर्ष 1995 की डब्ल्यू.पी.(सी) सं. 202 में टी.एन. गोदावर्मन तिरुमलपाद बनाम यूओआई के मामले में दिनांक 28 अप्रैल, 2023 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार किए जाएंगे।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई प्रदूषणकारी उद्योग लगाने या उसके विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। मौजूदा उद्योगों द्वारा प्रदूषण निवारण प्रौद्योगिकियां और ध्वनि अवरोधक संस्थापित किए जाने चाहिए।
3.	बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अशोधित बहिस्त्रावों का निस्सरण।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई साँ मिलों की स्थापना की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई या मौजूदा साँ मिलों के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी।
7.	ईट भट्टों की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
8.	पॉलीथीन बैग और प्लास्टिक का प्रयोग।	पर्यटन कार्यकलाप के लिए प्रतिषिद्ध। अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के लिए 50 माइक्रोन से कम आकार का प्लास्टिक प्रतिषिद्ध रहेगा।
9.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
10.	सतही एवं भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	प्रतिषिद्ध।
11.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	प्रतिषिद्ध।
12.	ठोस अपशिष्ट शोधन सुविधा की स्थापना	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव-अवक्रमणीय ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 08 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1357 (अ) द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार किया जाएगा; अजैविक सामग्री का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर चिन्हित स्थल पर पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकार्य तरीके

		<p>से किया जा सकता है।</p> <p>(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर उत्सर्जित किसी भी टोस अपशिष्ट को पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर शोधित/प्रसंस्कृत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।</p>
13.	जैव-चिकित्सा अपशिष्ट की शोधन सुविधा की स्थापना	<p>(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की दिनांक 28 मार्च, 2016 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 343(अ) द्वारा प्रकाशित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन, नियम, 2016 के अनुसार किया जाएगा। पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा स्थित नहीं होगी।</p> <p>(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर जैव-चिकित्सा इकाइयों से उत्सर्जित सभी अपशिष्ट को शोधन और निपटान के लिए पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर ले जाया जाएगा। पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर उत्सर्जित किसी भी जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर हथालन, प्रसंस्करण या शोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।</p>
14.	प्लास्टिक अपशिष्ट की शोधन सुविधा की स्थापना।	<p>(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 18 मार्च, 2016 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 340(अ) के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, समय-समय पर यथासंशोधित, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। आंचलिक महायोजना में अतिरिक्त स्थान-विशिष्ट प्रतिबंध निर्धारित किए जा सकते हैं। पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर कोई भी प्लास्टिक अपशिष्ट शोधन सुविधा स्थित नहीं होनी चाहिए।</p> <p>(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर उत्सर्जित सभी प्लास्टिक अपशिष्ट को ईएसजेड के बाहर ले जाया जाएगा। पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर उत्सर्जित किसी भी प्लास्टिक अपशिष्ट का पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर हथालन, प्रसंस्करण या शोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।</p>
15.	ई-अपशिष्ट की शोधन सुविधा की स्थापना।	<p>(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, समय-समय पर यथासंशोधित, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। आंचलिक महायोजना में विशिष्टताएं और अतिरिक्त स्थान-विशिष्ट प्रतिबंध निर्धारित किए जा सकते हैं। पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर कोई ई-अपशिष्ट शोधन सुविधा स्थित नहीं होनी चाहिए।</p> <p>(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर उत्सर्जित सभी ई-अपशिष्ट को ईएसजेड के बाहर ले जाया जाएगा। पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर उत्सर्जित किसी भी ई-</p>

		अपशिष्ट का पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर हथालन, प्रसंस्करण या शोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
16.	होटलों और रिज़ॉर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिज़ॉर्टों की स्थापना की अनुमति नहीं होगी: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी।
17.	निर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के वाणिज्यिक निर्माण को अनुमत नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए निर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जा सकेगी : परन्तु ऐसे लघु पैमाने के उद्योगों, जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित निर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ख) एक किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
18.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी समय-समय पर संशोधित उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार और अपरिसंकटमय, लघु पैमाने के और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की देशज सामग्री से उत्पादों का उत्पादन करने वाले कृषि आधारित उद्योग को अनुमति होगी।
19.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं की जा सकेगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
20.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
21.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	भूमिगत केबल बिछाने संबंधी लागू विधियों के अधीन विनियमित करने को बढ़ावा दिया जाएगा।

22.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू कानूनों, नियमों और विनियमों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार शमन के उपाय करना।
23.	मौजूदा सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों, घाटों, पुलों और पुलियाओं का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार उचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन के साथ न्यूनीकरण उपाय करना।
24.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
25.	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
26.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए विनियमित होगा।
27.	स्थानीय समुदायों द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुमत होंगे।
28.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में शोधित अपशिष्ट जल/बहिर्वाह का निस्सरण।	शोधित जल या बहिर्वाह का जल निकायों में निस्सरण नहीं होने दिया जायेगा और शोधित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा शोधित अपशिष्ट जल या बहिर्वाह का निस्सरण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
29.	फार्मों, कॉर्पोरेट और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति को छोड़कर लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
30.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुला कुआं, बोरवेल आदि।	विनियमित और कार्यकलाप की उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा कड़ाई से निगरानी की जानी चाहिए।
31.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
32.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
33.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
34.	इमारती लकड़ी का संचलन।	पश्चिम बंगाल पारगमन नियम, 2019 के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
35.	मत्स्य पालन।	वन क्षेत्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अन्य क्षेत्रों में, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नदी/जल निकायों आदि में पाली जाने वाली प्रजातियों और पालने की विधि को विनियमित किया जाएगा।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
36.	वर्षा जल संचय।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

37.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	बायो-गैस, सौर ऊर्जा इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
42.	मैंग्रोव की बागवानी और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
43.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
44.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
45.	अवक्रमित भूमि/वनो/पर्यावासों की पुनर्बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
46.	पर्यावरण के प्रति जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
47.	संधारणीय वन प्रबंधन कार्यकलाप।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
48.	नदी तट संरक्षण उपायों सहित मिट्टी और नमी संरक्षण कार्य।	सक्रिय रूप से प्रचार-प्रसार किया जाएगा। तटीय वनस्पति के संरक्षण उपायों को बढ़ावा दिया जाएगा।
49.	मधुमक्षिशाला	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
50.	पर्यावरण अनुकूल वैकल्पिक आजीविका।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
51.	तटबंध सुरक्षा।	अनुमत है।
52.	चक्रवात आश्रयों की स्थापना।	अनुमत है।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति -

केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (3) के तहत इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए निम्नलिखित को शामिल करते हुए एतद्वारा निगरानी समिति का गठन करती है, अर्थात्:-

क्र.स.	निगरानी समिति का गठन	पदनाम
(i)	जिला मजिस्ट्रेट 24 परगना (दक्षिण) जिला, पश्चिम बंगाल सरकार	पदेन, अध्यक्ष;
(ii)	राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रत्येक तीन वर्ष में नामित किए जाने वाला वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(iii)	राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रत्येक तीन वर्ष में नामित किए जाने वाला जैव विविधता के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(iv)	राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रत्येक तीन वर्ष में नामित किए जाने वाला पारिस्थितिकी के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(v)	सिंचाई और जलमार्ग विभाग का एक प्रतिनिधि	पदेन सदस्य;
(vi)	सुंदरवन कार्य विभाग का एक प्रतिनिधि	पदेन सदस्य;
(vii)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि	पदेन सदस्य;

(viii)	मत्स्य-पालन विभाग का एक प्रतिनिधि।	पदेन सदस्य;
(ix)	पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधि	पदेन सदस्य;
(x)	प्रभागीय वन अधिकारी, 24 परगना (दक्षिण) प्रभाग	पदेन, सदस्य-सचिव।

6. निगरानी समिति के कार्य -

- (1) निगरानी समिति, वास्तविक स्थल-विशिष्ट स्थितियों के आधार पर उन क्रियाकलापों की जांच करेगी जो कि भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय, की अधिसूचना संख्या का.आ. 1553 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006, के अंतर्गत आते हों और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, उसके पैरा 4 के अधीन सारणी में निर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, हो रहे हों और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अंतर्गत पर्यावरण की दृष्टि से पूर्व-स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण समाघात मूल्यांकन प्राधिकरण के पास अग्रेषित कर दिए गए हों।
- (2) भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 में शामिल नहीं किए गए और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले क्रियाकलापों, उसके पैरा 4 के अधीन तालिका में निर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, की निगरानी समिति द्वारा वास्तविक स्थल-विशिष्ट स्थितियों के आधार पर जांच की जाएगी और संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को अग्रेषित की जाएगी।
- (3) निगरानी समिति के सदस्य-सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।
- (4) मामले दर मामले की अपेक्षाओं के आधार पर निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, उद्योग संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित हितधारकों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकती है।
- (5) निगरानी समिति इस अधिसूचना के **संलग्नक-IV** में विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा के अनुसार प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव संरक्षक को प्रस्तुत करेगी।
- (6) केन्द्र सरकार, निगरानी समिति को उसके कार्य-कलापों के प्रभावी निर्वहन के लिए लिखित में ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

7. **अतिरिक्त उपाय** : इस अधिसूचना के उपबंधों को कारगर बनाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, भी विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. **उच्चतम न्यायालय, आदि के आदेश** : इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिये गए या जारी किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अधीन होंगे।

[फा.सं. 25/04/2024-ईएसजेड]

डॉ सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक-‘जी’

संलग्नक-1

लोथियन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमा विवरण

पारिस्थितिकी संवेदी जोन	दिशा	चौड़ाई	द्वीप/रेंज/क्षेत्र	ग्राम	विशिष्ट क्षेत्र (आरक्षित वन कम्पार्टमेंट)	नदी
लोथियन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन	उत्तर	1 किमी.	प्रेटिस द्वीप	ब्रजबल्लवपुर	प्रेटिस और भगवतपुर रिजर्व वन	सप्तमुखी
	पूर्व	2 किमी.	जी-प्लॉट द्वीप	इंद्रपुर, जी-प्लॉट	शून्य	सप्तमुखी
	दक्षिण	2 किमी.	बंगाल की खाड़ी	शून्य	शून्य	बंगाल की खाड़ी
	पश्चिम	2 किमी.	चंदनपीरी	उत्तर चंदनपीरी, दक्षिण चंदनपीरी, हरिपुर, शिवपुर	शून्य	सप्तमुखी

संलग्नक-IIक

लोथियन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन का
मानचित्र और महत्वपूर्ण मार्ग-बिंदुओं के भू-निर्देशांक



संलग्नक-IIख

लोथियन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का स्थलाकृतिक मानचित्र



संलग्नक-IIIक

तालिका क : लोथियन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य की सीमा पर महत्वपूर्ण बिंदुओं के भू-निर्देशांक

क्र.स.	वन्यजीव अभयारण्य की सीमा पर मार्ग चिन्ह	अक्षांश	देशांतर
1.	1	21°42'7.881"उ	88°17'59.943"पू
2.	2	21°42'24.228"उ	88°19'42.7"पू
3.	3	21°40'39.915"उ	88°21'2.102"पू
4.	4	21°38'52.488"उ	88°21'7.551"पू
5.	5	21°36'49.492"उ	88°19'17.789"पू
6.	6	21°37'27.636"उ	88°18'20.962"पू
7.	7	21°40'9.555"उ	88°18'59.106"पू

तालिका ख : लोथियन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा पर महत्वपूर्ण बिंदुओं के भू-निर्देशांक

क्र.स.	वन्यजीव अभयारण्य की सीमा पर मार्ग चिन्ह	अक्षांश	देशांतर
1.	1ए	21°42'0.868"उ	88°17'27.38"पू
2.	2ए	21°42'48.795"उ	88°19'55.27"पू
3.	3ए	21°40'40.076"उ	88°21'43.448"पू
4.	4ए	21°38'56.006"उ	88°22'16.313"पू
5.	5ए	21°35'47.036"उ	88°19'45.685"पू
6.	6ए	21°37'22.89"उ	88°17'21.903"पू
7.	7ए	21°40'4.473"उ	88°18'23.524"पू

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र : - लोथियन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन निगरानी समिति

1. बैठकों की संख्या और तारीख।
2. बैठकों का कार्यवृत्त: कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक संलग्नक में प्रस्तुत करें।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण संलग्नक के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। विवरण एक पृथक संलग्नक के रूप में संलग्न करें।
6. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। विवरण एक पृथक संलग्नक के रूप में संलग्न करें।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th December, 2024

S.O. 5638(E)—The following draft notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Lothian Island Wildlife Sanctuary is located in the South 24 Parganas District of West Bengal with an area of 38 square kilometers. The Sanctuary is situated at the mouth of the Ganga- Brahmaputra river system, both in India and Bangladesh. It is bounded by the Saptamukhi River in Northern, Eastern and Western sides and the Bay of Bengal from the Southern Side.

AND WHEREAS, the Lothian Island Wildlife Sanctuary is part of the Sundarbans, which is the largest single chunk of deltaic mangrove forest form and provides shelter to animals of schedule - I of the Wildlife Protection Act, 1972 which includes the Gangetic Dolphin (*Platinista gangetica*), Water Monitor Lizard (*Varanus salvator*), etc.

AND WHEREAS, the Lothian Island Wildlife Sanctuary supports a number of faunal species specified under the Red Data Book of the IUCN that inter alia includes Fishing Cat (*Felis viverrina Bennett*), Estuarine otter (*Lutra lutra*), Bengal Monitor Lizard (*Varanus bengalis*), Estuarine Crocodile (*Crocodylus porosus*), Olive Ridley Turtle (*Lepidochelys olivacea*), Civet Cat (*Viverra zibetha*), Jacal (*Coons aureus*), Irrawaddy Dolphin (*Oracella brevirostris*), Indian Python (*Python molurus*), Rhesus macaque (*Macaca speciosa*), Chital (*Axix axix*), Wild pig (*Sus scrofa*) etc.

AND WHEREAS, the Wildlife Sanctuary is a paradise for birds such as Fulvous Breasted Woodpecker (*Dendrocopos macei*), Stripe Breasted Woodpecker (*Dendrocopos atratus*), Blackrumped Flameback (*Dinopium benghalense*), Blue Throated Barbet (*Psilopogon asiaticus*), Stork billed Kingfisher (*Pelargopsis capensis*), White Throated Kingfisher (*Halcyon smyrnensis*), Yellow Wagtail (*Motacilla flava*), Black Redstart (*Phoenicurus ochruros*), Tickell's Flowerpecker (*Dicaeum erythrorhynchos*), Paradise Flycatcher (*Terpsiphone*), Ashy Swallow Shrike (*Artamus fuscus*), Long-tailed Nightjar (*Caprimulgus climacurus*), Swamp Partridge (Resident) (*Francolinus gularis*), Eurasian Eagle Owl (*Bubo bubo*), Greyheaded Fish Eagle (*Ichthyophaga ichthyaetus*), Cotton pygmy goose (*Nettapus Coromandelianus*), Eurasian Wigeon (*Anas Penelope*), Lesser Whistling Teal (*Dendrocygna javanica*), White-eyed Pochard (*Aythya nyroca*) etc.

AND WHEREAS, the fish species found in the area includes Ganges Shark (*Glyphis gangeticus*), Hammer head Shark (*Sphyrna blochi*), Guitar fish (*Rhinobatos annandalei*), Hangar (*Dasyatis sephors*), Butter Fish (*Stromateus sinensis*), Silver Pomfret (*Pampus chirensis*), Bengal Tongue Fish (*Cynoglossus cynoglossus*), Gangetic Hairfin Anchovy (*Setipinna phasa (Hamilton)*), Mottled Eel (*Anguilla bengalensis*), Blackfin Sea Cat Fish (*Arius jella*), Spot Tail Needle Fish (*Strongylura strongylura*), Kalagachhi Bhagone (*Liza tade (Forsskal)*), Chanda (*Etroplus suratensis (Bloch)*), etc.;

AND WHEREAS, the Sundarban Mangrove Forests of the Protected Area is having the wide diversities of floral species. The floral species recorded from the area includes Harguza (*Acanthus ilicifolius L*), Lata Harguza (*A.volubilis*), Tora (*Aegialitis rotundifolia*), Khalsi (*Aegiceras carniculatum*), Piara Baen (*Avicennia alba (Blume)*), Kala Baen (*A. marina*), Jat Baen (*A. officinalis*), Amur (*Aglaie cuculata*), Hodo (*Acrostichum aureum*), Bakul (*Bruguiera cylindrical*), Kankra (*B. gymnorhiza*), Kankra (*B. sexangula (Lour) Poirot*), Lata Sundari (*B. parviflora*), Bakul (*Brownlowia tersa (L)*), Dakor (*Cerbera manghas Geartn*), Banjai (*Clerodendrum inerme*), Nate (*Caesalpinia bunducella*), Jhamti (*Ceriops decandra*), Math Goran (*C. Tagal (Prrottet) C.S. Robinson*), Singra Kalilata (*Cynometra iripa kostel*), Dalbergia spinosa, Kalilata (*D. heterophyllia*), Gila Entada scandens, Genwa (*Excoecaria agollocha*), Dudhilata (*Finlaysonia obovata*), Fimbristylis ferruginea, Garjan (*Rhizophora apiculata Blume*) etc;

AND WHEREAS, for effective conservation and protection of this rich floral and faunal biodiversity of Lothian Island Wildlife Sanctuary, the extent of anthropogenic pressure in the periphery of the park has to be regulated as the immediate area adjoining this fragile ecosystem is ecologically sensitive and exert great impact on this Protected Area;

AND WHEREAS, the dynamic nature of main river Saptamukhi River in Northern, Eastern and Western sides and Southern side is bounded by the Bay of Bengal has a direct impact on the wildlife in the park; and therefore, it is necessary to conserve and protect the areas around Lothian Island Wildlife Sanctuary for improvement and development the wildlife habitat therein and in the landscape;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, surrounding the boundaries of Lothian Island Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 1.0 kilometer to 2.0 kilometers from the boundary of Lothian Island Wildlife Sanctuary in South 24 Parganas District, in the State of West Bengal as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-Sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. Extent and boundaries of Eco-Sensitive Zone-

- (1) The Eco-Sensitive Zone shall be to an extent varying from 1.0 kilometer to 2.0 kilometers from the boundary of Lothian Island Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is approximately 49.13 Square kilometers.
- (2) The boundary description of Lothian Island Wildlife Sanctuary and its Eco-Sensitive Zone is appended in **Annexure-I**.
- (3) The Maps of the Eco sensitive Zone of Lothian Island Wildlife Sanctuary are Appended as **Annexure- II A** and **Annexure-II B**.
- (4) Geo Coordinates on the boundary of Lothian Island Wildlife Sanctuary and its Eco sensitive zone are appended at Table A and Table B of **Annexure-III**.
- (5) No villages are located within the Eco-sensitive Zone

2. Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone-

- (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State Government.
- (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
 - (i) Forest;
 - (ii) Environment;

- (iii) Agriculture;
- (iv) Fisheries;
- (v) Tourism;
- (vi) Irrigation and Waterways;
- (vii) Public Works
- (viii) Land and Land Reforms
- (ix) Disaster Management and Civil Defence
- (x) Panchayat and Rural Development;
- (xi) Sunderban Affairs

- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, green area, such as, parks, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.
- (10) Pending preparation and approval of the Zonal Master Plan, any new developmental activities shall be governed by provisions specified at paragraph 6 of sub-para (1) and (2).

3. Measures to be taken by the State Government. - The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely: -

- (1) **Land use.**— (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the Central Government or the State Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as-

- (i) Bank stabilization/protection structure and measures.
- (ii) widening and strengthening of existing roads/jetty and construction of new road, jetty including bridges, culverts etc;

- (iii) river dredging and dredging of waterways;
- (iv) construction and renovation of socially desirable public infrastructure, electricity , drinking water, irrigation and other basic civic amenities;
- (v) Construction and renovation of disaster shelter and related works to protect people from natural disaster viz. cyclone, storm, etc.;
- (vi) Small scale industry with limited pollution potential;
- (vii) cottage industries including village artisans, etc,
- (viii) local amenities supporting eco-tourism including home stay;
- (ix) Construction and renovation of security forces camp / patrolling camps, and
- (x) promoted activities given in paragraph 4

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph;

(b) efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

- (2) **Natural water bodies.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
- (3) **Tourism or eco-tourism.**- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone;
- (b) the Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests;
- (c) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;
- (d) the Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone;
- (e) the activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
- (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer;

Provided that beyond the distance of one kilometer from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;
 - (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.
- (4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.** - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 and its amendments.
- (7) **Air pollution.**- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made there under these Acts.
- (8) **Discharge of effluents.**- The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made there under these Acts.
- (9) **Solid wastes.**- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
- (a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 and as amended from time to time; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
 - (b) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;
 - (c) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;
 - (d) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid

wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.— Bio-Medical Waste Management shall be as under:-

- (a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016;
- (b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.— The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and demolition waste management.— The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.— The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.— The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.— Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.— (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone;

- (b) only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.— The protection of hill slopes shall be as under:-

- (a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
- (b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone-

All activities in the Eco-Sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 (or the latest notification) and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco- sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court, dated the 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995; dated 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012; and dated the 28 th April, 2023 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI and in W.P.(C) No.202 of 1995.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted. Pollution prevention technologies and noise barriers should be installed by existing industries
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substance.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
8.	Use of polythene bags and plastics.	Prohibited for tourism activity. For other commercial establishment, plastic below 50 microns will be prohibited.
9.	Commercial use of firewood.	Prohibited.

10.	Commercial extraction of surface and ground water.	Prohibited.
11.	Introduction of Exotic species.	Prohibited.
12.	Establishment of Solid waste treatment facility.	<p>(a) The bio-degradable solid waste disposal and management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change <i>vide</i> notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site identified outside the Eco- Sensitive Zone.</p> <p>(b) No solid waste generated outside the Eco Sensitive Zone will be allowed to be treated/ processed within the Eco Sensitive Zone</p>
13.	Establishment of Bio-Medical waste treatment facility	<p>(a) The Bio-Medical Waste disposal in the Eco Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change <i>vide</i> notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016. No Bio Medical Waste treatment facility shall be located within the Eco Sensitive Zone</p> <p>(b) All waste generated from bio-medical units within the ESZ shall be taken outside the ESZ for treatment and disposal. No Bio-medical waste generated outside the ESZ will be allowed to be handled, processed or treated inside the ESZ</p>
14.	Establishment of Plastic waste treatment facility	<p>(a) The Plastic waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the MoEF&CC <i>vide</i> notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time. Additional site-specific restrictions may be prescribed in the Zonal Master Plan. No plastic waste treatment facility should be located inside the ESZ</p> <p>(b) All plastic waste generated inside the ESZ shall be taken outside the ESZ. No plastic waste generated outside the ESZ will be allowed to be handled, processed or treated inside the ESZ</p>
15.	Establishment of E-waste waste treatment facility	<p>(a) The e-waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the e-waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as</p>

		<p>amended from time to time. Specifications and additional site-specific restrictions may be prescribed in the Zonal Master Plan. No e-waste treatment facility should be located inside the ESZ.</p> <p>(b) All e-waste generated inside the ESZ shall be taken outside the ESZ. No e-waste generated outside the ESZ will be allowed to be handled, processed or treated inside the ESZ</p>
B. Regulated Activities		
16.	Commercial establishment of hotels and resorts.	<p>No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities:</p> <p>Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.</p>
17.	Construction activities.	<p>(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:</p> <p>Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents:</p> <p>Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.</p> <p>(b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.</p>
18.	Small scale non-polluting industries.	<p>Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted.</p>
19.	Felling of trees.	<p>(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.</p>

		(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
20.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated under applicable laws.
21.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws of underground cabling may be promoted.
22.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
23.	Widening and strengthening of existing roads, construction of new roads, jetties, bridges, culverts etc.	Taking measures of mitigation with proper Environment Impact Assessment, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
24.	Undertaking other activities related to tourism like over flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
27.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
28.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise, the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per the applicable laws.
29.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated as per applicable laws except for meeting local needs.
30.	Open Well, Bore Well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
31.	Solid Waste Management.	Regulated as per the applicable laws.
32.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.

33.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
34.	Movement of Timber.	Shall be regulated as per the West Bengal Transit Rules, 2019.
35.	Pisciculture.	Not permitted inside the forest area. In other areas, species cultivated and method of cultivation will be regulated in the river / water bodies etc. within ESZ.
C. Promoted Activities		
36.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
37.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
38.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
39.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
40.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
41.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
42.	Plantation of Mangrove Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
43.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
44.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
45.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
46.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.
47.	Sustainable forest management activities.	Shall be actively promoted.
48.	Soil and moisture conservation works including river bank protection measures.	Shall be actively promoted. Vegetative bank protection measures will be promoted.
49.	Apiary.	To be actively encouraged.
50.	Eco friendly alternate livelihood.	To be actively encouraged.
51.	Embankment protection.	Permitted.
52.	Establishment of Cyclone shelters.	Permitted

2. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-Sensitive Zone Notification-

For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S.No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	The District Magistrate 24 Parganas (South) District, Government of West Bengal.	<i>ex-officio</i> , Chairman;
(ii)	A representative of Non-governmental Organization working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government from time to time every three years.	Member;
(iii)	An expert in the area of Biodiversity to be nominated by the State Government from time to time every three years.	Member;
(iv)	An expert in Ecology nominated by the State Government by the State Government from time to time every three years.	Member;
(v)	A representative from Irrigation & Waterways Department	<i>ex-officio</i> , Member;
(vi)	A representative from Sundarban Affairs Department	<i>ex-officio</i> , Member;
(vii)	A representative from State Pollution Control Board.	<i>ex-officio</i> , Member;
(viii)	A representative from Fisheries Department.	<i>ex-officio</i> , Member;
(ix)	Representative of Panchayat & Rural Development Department, Government of West Bengal	<i>ex-officio</i> , Member;
(x)	Divisional Forest Officer, 24 Parganas (South) Division	<i>ex-officio</i> , Member-Secretary.

3. Functions of the Monitoring Committee –

- (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case maybe, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (2) The activities not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
- (3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from concerned Department, representative from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.

- (5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in pro-forma specified in Annexure-V, appended to this notification.
- (6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
4. **Additional Measures:** The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
5. **Supreme Court, etc. orders.** The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.
- 6.

[F. No. 25/04/2024/ESZ]
Dr. S. KERKETTA, Scientist 'G'

Annexure I

BOUNDARY DESCRIPTION OF THE ECO-SENSITIVE ZONE OF LOTHIAN ISLAND WILDLIFE SANCTUARY

Name of the Eco-Sensitive Zone	Side	Width	Island/Range/Area	Villages	Specific Areas (Reserve Forest Compartment)	River
Lothian Island Wildlife Sanctuary Eco - sensitive Zone	North	1 km	Prentice Island	Brajaballabpur	Prentice and Bhagbatpur Reserve Forest	Saptamukhi
	East	2 kms.	G-Plot Island	Indrapur, G-Plot	Nil	Saptamukhi
	South	2 kms.	Bay of Bengal	Nil	Nil	Bay of Bengal
	West	2 kms.	Chandanpiri	Uttar Chandanpiri, Dakshin Chandanpiri, Haripur, Shibpur	Nil	Saptamukhi


Annexure II A

MAP OF THE LOTHIAN ISLAND WILDLIFE SANCTUARY ECO SENSITIVE ZONE AND GEO-COORDINATES OF THE IMPORTANT WAYPOINTS.



Annexure II B

**TOPOGRAPHIC MAP OF LOTHIAN ISLAND WILDLIFE SANCTUARY AND ITS
ECO-SENSITIVE ZONE**



Annexure III

Table A: GEO COORDINATES OF THE IMPORTANT POINTS ON THE BOUNDARY OF LOTHIAN ISLAND WILDLIFE SANCTUARY

S.No	Waypoint on WLS Boundary	Latitude	Longitude
1.	1	21°42'7.881"N	88°17'59.943"E
2.	2	21°42'24.228"N	88°19'42.7"E
3.	3	21°40'39.915"N	88°21'2.102"E
4.	4	21°38'52.488"N	88°21'7.551"E
5.	5	21°36'49.492"N	88°19'17.789"E
6.	6	21°37'27.636"N	88°18'20.962"E
7.	7	21°40'9.555"N	88°18'59.106"E

Table B: GEO COORDINATES OF THE IMPORTANT POINTS ON THE ECO-SENSITIVE ZONE BOUNDARY OF LOTHIAN ISLAND WILDLIFE SANCTUARY

S.No	Waypoint on ESZ Boundary	Latitude	Longitude
1.	1A	21°42'0.868"N	88°17'27.38"E
2.	2A	21°42'48.795"N	88°19'55.27"E
3.	3A	21°40'40.076"N	88°21'43.448"E
4.	4A	21°38'56.006"N	88°22'16.313"E
5.	5A	21°35'47.036"N	88°19'45.685"E
6.	6A	21°37'22.89"N	88°17'21.903"E
7.	7A	21°40'4.473"N	88°18'23.524"E

Annexure IV

Performa of Action Taken Report - Lothian Island Wildlife Sanctuary Eco sensitive zone monitoring Committee

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.

5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities **not** covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.